



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072024-255707
CG-DL-E-24072024-255707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2796]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2796]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2933(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'पंजाब स्किल डवलपमेंट मिशन सोसायटी, चंडीगढ़' (पैन: AAAAE8085G), जो पंजाब सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- केंद्र सरकार, पंजाब राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी संस्थानों से प्राप्त अनुदान तथा अंशदान
- कंपनियों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त सीएसआर निधि
- योजनाओं/परियोजनाओं के लिए सेवा शुल्क अथवा प्रशासनिक शुल्क की उगाही
- बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'पंजाब स्किल डवलपमेंट मिशन सोसायटी, चंडीगढ़':—

- किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 94/2024 फा.सं. 300196/68/2018-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2933(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘Punjab Skill Development Mission Society, Chandigarh’ (PAN: AAAAE8085G), a Society constituted by Government of Punjab, in respect of the following specified income arising to the said Society, as follows:

- (a) Grants and contributions received from Central Government, State Government of Punjab, and other Government institutions.
- (b) CSR funds received from companies/firms.
- (c) Levy of service charges or administrative charges for the schemes/projects.
- (d) Interest on bank deposits.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Punjab Skill Development Mission Society, Chandigarh –
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial year(s); and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to be applicable for Assessment Years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026 relevant for the financial years 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 94/2024 F.No.300196/68/2018-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072024-255709
CG-DL-E-24072024-255709

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2798]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2798]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2935(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'सोसायटी फोर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर), मुम्बई' (पैन: AALAS5825K), जो केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान
- परीक्षण मापतौल तथा परामर्श सेवाओं से प्राप्त शुल्क
- आरएफ/माइक्रोवेव तथा संबद्ध क्षेत्रों में प्रणालियों/उपप्रणालियों के लिए डिजाइन तथा विकास शुल्क
- रॉयल्टी तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से प्राप्त राजस्व
- समीर संघ के बहिर्नियम के अनुसार विविध आय
- बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'सोसायटी फोर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर), मुम्बई':—

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 96/2024 फा.सं. 300196/34/2017-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2935 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Society for Applied Microwave Electronics Engineering & Research (SAMEER), Mumbai' (PAN: : AALAS5825K), a Society constituted by Central Government, in respect of the following specified income arising to the said Society, as follows:

- Grants received from Ministry of Electronics and Information Technology
- Fees received from test measurement and consultancy services.
- Design and development charges for systems/subsystems in RF/Microwave and allied areas.
- Revenue from Royalty and transfer of technology.
- Miscellaneous income as per Memorandum of Association of the SAMEER.
- Interest on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Society for Applied Microwave Electronics Engineering & Research (SAMEER), Mumbai' –

- shall not engage in any commercial activity;
- its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial year(s); and
- shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to be applicable for Assessment Years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026 relevant for the financial years 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 96/2024 F.No.300196/34/2017-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072024-255708
CG-DL-E-24072024-255708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2797]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2797]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2934(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'हिमाचल प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र, शिमला' (पैन: AAAAH7757E), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक निकाय, उस निकाय से उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क/प्रभार के उद्ग्रहण से आय, और

(ख) बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'हिमाचल प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र'—

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 95/2024/फा.सं.196/20/2021-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2934(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Himachal Pradesh State Load Despatch Centre, Shimla', (PAN-AAAAH7757E), a body established by the Government of Himachal Pradesh, in respect of the following specified income arising to that body, namely:

- a) Income from levy of fees/charges as per Electricity Act, 2003 and as fixed by Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, and
- b) Interest on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Himachal Pradesh State Load Despatch Centre -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to be applicable for Assessment years 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024 relevant to Financial years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.

[Notification No. 95/2024/F.No.196/20/2021-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.